कार्यालय निदेशक,पशुपालन विभाग(उत्तराखण्ड), पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।
संख्या– 2073 /नि.–5/एक(54)/SSS/2022–23 दिनांक 20 जुलाई, 2022.
सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–28 राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–797/XV–1/22–1(3)/2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा पशुपालकों को लिंग वर्गीकृत वीर्य हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹ 1500.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 11–4–2022 से अवमुक्त धनराशि ₹ 500.00 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 1000.00 लाख इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है, उक्त आवंटित धनराशि ₹ 1000.00 लाख को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट किया जाता है।

उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग उक्त योजनान्तर्गत पूर्व आवंटित बजट पत्र संख्या–206/नि.–5/एक(54)/SSS/2022–23, दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाय।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान संख्या–28 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।
संलग्न–एलाटमेंट आई.डी.

भवदीय,

(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।

संख्या– 2073 /नि.–5/एक(54)/SSS/2022–23 उक्त दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइवर कोषागार, देहरादून।
2– लेखा/पशुधन/संख्या शाखा, मुख्यालय।
3– पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईड में अपलोड करने हेतु।
4– संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय ।
5– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी., देहरादून को उक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अनुपालनार्थ।
6– सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
7– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते–निदेशक।